

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक : स्था-4/सी/अनु.नियु./06/2008/590  
प्रति,


भोपाल, दिनांक 19.5.08

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश.
2. समस्त, आयुक्त, नगर पालिका निगम, म.प्र.
3. समस्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका एवं नगर पंचायत, म.प्र.।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत, म.प्र.
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.

विषय:-शिक्षाकर्मियों के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के संबंध में ।

—0—

शिक्षाकर्मियों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर परिवार के व्यक्त सदस्य को संविदा शौला शिक्षक श्रेणी-3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश दिनांक 01.12.05 एवं म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश दिनांक 28.12.05 में है, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को उक्त आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के क्रम में जारी किये गये है। अतः किसी शिक्षाकर्मी की मृत्यु उक्त आदेश के पूर्व हुई है तो उनके आश्रितों को भी म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3-7/2000/3/एक दिनांक 22 जनवरी 2007 के अनुक्रम में नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति की कार्यवाही करें ।


  
आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 19.5.08

पृ.क्रमांक : स्था-4/सी/अनु.नियु./06/2008/591  
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्रीजी, म.प्र. ।
2. मुख्य सचिव म.प्र. शासन ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विकास विभाग, म.प्र. ।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र. ।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, म.प्र. ।
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. ।
7. आयुक्त, जनसंपर्क, म.प्र. भोपाल ।
8. सहायक संचालक (शिक्षाकर्मी कक्ष) स्थानीय ।

  
आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश